न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट–ट्रेक) बांदीकुई जिला दौसा

प्रकरण सं. 207 / 2012
प्रकरण दायर दिनांक 05.12.2012,
इस न्यायालय में दर्ज संख्या 05 / 2022
दिनांक 03.01.2022
प्रकरण निर्णय दिनांक 01.04.2022

उनवान

1. मन्ना पुत्र गंगु आयु 60 वर्ष
2. कन्हैया पुत्र गंगु आयु 65 वर्ष
3. गंगा सहाय पुत्र छंगा आयु 60 वर्ष
4. चिरंजी लाल पुत्र गोपी आयु 45 वर्ष
5. लक्ष्मीनाराण पुत्र गोपी राम आयु 38 वर्ष
6. हरिकिशन पुत्र रमेश चन्द आयु 32 वर्ष
7. राजेन्द्र पुत्र रमेश चन्द आयु 30 वर्ष
8. अक्षय कुमार पुत्र रमेश चन्द आयु 25 वर्ष
9. शान्ती देवी आयु 50 वर्ष बेवा रमेश
10. सुखपाल पुत्र घासी आयु 55 वर्ष
11. मानसिंह पुत्र खेराती आयु 38 वर्ष
12. नन्द किशोर पुत्र खैराती आयु 27 वर्ष
13. केसरी देवी बेवा खैराती आयु 65 वर्ष

जाति समस्त बैरवा निवासीयान मुण्डघिस्या तहसील बसवा जिला दौसा

–: वादी

बनामः–

1. विनोद पुत्र राजेन्द्र प्रसाद जाति पुरोहित निवासी बडियाल कलां
2. अशोक कुमार पुत्र राजेन्द्र प्रसाद जाति पुरोहित निवासी बडियाल कलां
3. दिनेश कुमार पुत्रान स्व0 मदनलाल
4. दाऊदयाल पुत्रान स्व0 मदनलाल
5. राधावल्लभ पुत्रान स्व0 मदनलाल
6. सुशील कुमार पुत्रान स्व0 मदनलाल
7. राजस्थान सरकार जारिये तहसीलदार एवं उप पंजीयक अधिकारी कार्यालय उप पंजीयक बसवा जिला दौसा

:– प्रतिवादीगण

" वाद पत्र बाबत घोषणा व हुकम इम्तनाई दवागी "

::निर्णय::

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) बांदीकुई

Scanned with CamScanner

वादी ने वाद पत्र खिलाफ प्रतिवादी वाद पत्र बाबत घोषणा व हुकम इम्तनाई दवामी वास्ते उपजिला कलक्टर बांदीकुई के न्यायालय में पेश किया गया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :– कृषि भूमि खसरा नम्बर 1/2 पुराना रकबा 11 बीघा 5 बिस्वा जिसके हाल नये खसरा नम्बरान खतौनी संख्या नयी 6 पुरानी 5 के खसरा नम्बरान 2 रकबा 0.0400 हैक्टे0 जाव 2 चाही 2 खसरा नम्बर 3 रकबा 0.0700 हेक्टे0 जाव 2 चाही खसरा नम्बर 4 रकबा 0.700 हेक्टे0 जाव 2 चाही 2 खसरा नम्बर 5 रकबा 0.2800 हैक्टे जाव 2 चाही 2 खसरा 6 रकबा 0.0100 हैक्टे गैर मुमकिन चाह, खसरा नम्बर 7 रकबा 0.0200 हैक्टे0 आ0 चा0 खसरा नम्बर 8 रकबा 0.1000 हैक्टे0 चाही 2 जाव 2 खसरा नम्बर 9 रकबा 0.0800 हैक्टे0 जाव 2 चाही 2 खसरा नम्बर 11 रकबा 0. 3200 हैक्टे0 जाव 2 चाही 2 खसरा 12 रकबा 0.3300 हैक्टे चाही 2 खसरा न0 13 रकबा 0.2800 हैक्टे0 जाव 2 चाही 2 खसरा न0 14 रकबा 0.2600 हैक्टे चाही 2 खसरा नम्बर 15 रकबा 0.3200 हैक्टे0 जाव 2 चाही 2 खसरा नम्बर 16 रकबा 0.3600 हैक्टे चाही 2 जाव 2 वाके मौजा मूडधिरया तहसील बसवा जिला दौसा में स्थित है। उक्त भूमि ग्राम मूण्डधिरया के पटटी वाला बक्सासिंह पुरोहित में स्थित थी तथा प्रतिवादी संख्या 1 के बाबा छीतरमल की माफी में थी और देने ठिकाना खुद काश्त सम्वत 2008 की बन्दोबस्त में अंकित की गयी थी। छीतर मल ने दिनांक 14.10.57 कार्तिक कृष्णा 6 सम्वत 2014 को अपनी माफी की जमीन जिसे खसरा नम्बर एक बताकर उसका एक पटटा बाबत काश्त छंगा व गंगू व बोडिया व रामचन्द्र के हम में तहरीर कर दिया क्यो कि वह खुद काश्त करने में असमर्थ थे और काश्त करने को वादीगण के उपरोक्त बुजुर्गान को दे दी और उसमें कुआ बनाने और डोल लगाने आदि के समस्त अधिकार दिये तथा यह शर्त रखी गयी कि उक्त भूमि के लगान के 14/–रूपये एक आने जब तक माफी जप्त नही हो छीतरमल उपरोक्त को अदा करते रहेगे और माफी समाप्त होने के पश्चात राज्य सरकार में लगान देते रहेगे तथा वादीगण के उपरोक्त बुजुर्गान को उस भूमि पर कब्जाकरा दिया और उसके प्रमाण स्वरूप एक पटटा भी दिनांक 14.10.57 को एक रूपय के स्टाम्प पर गवाहो के सामने तहरीर कर दिया परन्तु रामचन्द्र ने उक्त भूमि में अपना हिस्सा नही रखा और मूल पटटे के पीछे ही छंगा के हक में इस बारे में इबारत तहरीर कर दी उक्त पटटे के अनुसार वादीगण उक्त भूमि को निरन्तर काश्त करते रहे है तथा खसरा गिरदावरी सम्वत 2014 में छंगा का नाम खसरा गिरदावरी में खाना नम्बर 27 में अंकित है तथा उसके प्यचात सम्वत 2015 व 2016 में भी वादीगण का नाम अंकित है। और उनकी काश्त अंकित है। सम्वत 2017 की खसरा गिरदावरी के खाना नम्बर 6 में छीतरमल का नाम लिखकर उसके नीचे वादीगण एवं उनके बुजुर्गान का नाम अंकित किया गया और बदस्तुर के इन्द्राज सम्वत 2017 व 2018 किया गया तथा 2019 में भी खाना न0 6 में छीतरमल के नीचे वादीगण एवं उनके बुजुर्गान का नाम अंकित किया गया ओर खाना नम्बर 17 व 27 में बदस्तुर के इन्द्राजात किये गये परन्तु सम्वत 2019 के बाद खसरा गिरदावरी में काश्तकार का नाम अंकित नही किये जाने के निर्देशो के कारण खसरा गिरदावरी सम्वत 2030 में खाना नम्बर 6 में अकेले छीतरमल का नाम अंकित कर दिया तथा छीतरमल की मृत्यु के प्श्चात उक्त भूमि पर जरिये नामान्तकरण 171 खसरा नम्बर 1/2 रकबा 11 बीघा 5 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16 है व खसरा नम्बर 186 की 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि का नामान्तरण मृतक छीतरमल के पुत्र मदनलाल व राजेन्द्र प्रसाद के नाम अंकित कर दिया जबकि छीतरमल की मृत्यु उससे पूर्व ही हो चुकि थी। छीतरमल के पुत्र मदनलाल की मृत्यु होने पर नामान्तरण संख्या 282 दिनांक 23.02.88 के द्वारा उसके पुत्रान प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 6 का नाम अंकित किया गया । वादीगण के बजुर्गनान ने विवादित भूमि जब ली थी उस समय बारानी बंजर भूमि थी

सहायक कलेक्टर एवं

Scanned with CamScanner

और उन्होंने काफी खर्चा कर उस पर एक गाह पुख्ता बना लिया है और उस पर रिहायशी मकानात भी बना लिए है और उसमें उनकी बस्ती बनी हुई है। उस पर निरन्तर अब तक काबिज चले आ रहे है। वर्तमान में उक्त भूमि पर वादीगण की फसल गेहूँ,चना, सरसों मौके पर भी खड़ी है। जब संवत् 2014 से 2020 तक निरन्तर खसरा गिरदावरियों में वादीगण एवं उनके बजुर्गान का नाम अंकित था तथा छीतरमल की माफी 01.07.1958 को पुर्नग्रहित की जा चुकी थी तो उस पर खुद काश्त नहीं होने के कारण उसके नाम खातेदारी अंकित किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। परन्तु वादीगण के अनुसूचित जाति के सदस्य होने के कारण तथा मृतक छीतरमल एवं उनके पुत्रो का प्रभावी व्यक्ति होने के कारण राजस्व अभिलेख मे छीतरमल के नाम इन्द्राजात बदस्तुर किये जाते रहे तथा सम्वत 2030 से 2033 तक जब पुनः खसरा गिरदावरी के खाना 6 मे सम्वत 2019 के इन्द्राजात के विपरित वादीगण का नाम अंकित नहीं किया गया जबकि वह निरन्तर काबिज थे और पुर्नग्रह के पश्चात नियमित रूप से लगान तहसील मे जमा करा रहे थे और माफी पुर्नग्रहण होने की तिथि तक मृतक छीतरमल को अदा करते रहे है। उक्त भूमि कभी भी मृतक छीतरमल की खुद काश्त नहीं थी तथा वह अन्य लोगो से भी काश्त कराते थे। वह केवल माफीदार थे परन्तु प्रभावशाली व्यक्ति होने के कारण गलत रूप से इन्द्राजात करवा लिया। वादीगण एवं उनके बुजुर्गान को धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत ही अधिकार प्राप्त हो गये थे। क्योंकि वह माफीदार के द्वारा काश्तकार एडमिट किये गये थे। इस लिए स्वयमेव ही खातेदार हो गए परन्तु यदि छीतरमल को उक्त भूमि का खुद काश्त का काश्तकार भी माना जावे तो भी वह धारा 19(एक) के अन्तर्गत 31 दिसम्बर 1969 को काबिज रहने के कारण खातेदारी अधिकार पाने के अधिकारी हो गये थे। किन्तु राजस्व अभिलेख जमाबन्दी इन्द्राजात नहीं होने के कारण उनके नाम स्वयमेव खातेदारी अधिकार अंकित नहीं किये गये। छीतरमल ने वादभूमि स्पष्ट रूप से वादीगण एवं उनके बुजुर्गान को सदैव के लिए काश्त करने के लिए दे दी थी। और सन् 57 से वादीगण एवं उनके बुजुर्गान निरन्तर भूमि पर काबिज चले आ रहे है। तथा पट्टे की शर्तो के अनुसार माफी पुर्नग्रहण होने तक उन्होंने लगान मृतक छीतरमल को अदा किया तथा उसके पश्चात तहसील में अदा किया । तथा सन 57 से अबाध रूप से काबिज चलते आने के कारण एडवर्ज पजेशन के आधार पर भी वादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये। प्रतिवादीगण वाद भूमि पर सन 57 से ही काबिज नहीं है और वादीगण उक्त भूमि पर खुल्लम खुल्ला रूप से अपने अधिकारो के तहत काबिज होकर काश्त कर रहे है तथा लगान राज्य सरकार में अदा कर रहे है इस कारण प्रतिवादीगण का कोई हक नहीं था परन्तु यदि कोई हक माना भी जावे तो वह अधिकार धारा 63 (1)(4) राजस्थान अधिनियम के प्रावधानो के कारण समाप्त हो गया और वह समस्त अधिकार वादीगण को प्राप्त हो गये इस कारण भी वादीगण उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार हो गये। दिनांक 30.11.2012 को समस्त प्रतिवादीगण वादीगण के खेत पर आये और फसल की पैदावार में से हिस्सा मांगने लगे तथा वादीगण के इन्कार करने पर कहा कि या तो जमीन की कीमत दे दो अन्यथा जबरन बेदखल कर देंगे व कब्जा कर लेंगे इसलिये वादीगण के द्वारा वाद भूमि के सम्बन्ध में उनके अधिकारो की घोषणा कराने एवम प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। डिक्री बाबत घोषणा इस कदर वादीगण के हक मे व प्रतिवादीगण के विरूद्ध जारी की जावे की वाद में अंकित पत्र के अंकित विवादित भूमि काश्तकार है और राजस्व अभिलेख में उनके नाम संशोधन किये जाने की आज्ञा प्रदान करना अंकित किया गया।

वाद वादीगण का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई मे प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर कर जर्ये समन प्रतिवादीगण तलब किये गये प्रतिवादीगण की ओर से श्री कमल सिंह एडवोकेट की ओर से वकालत नामा पेश किया गया एवं दिनांक 20.02.2014 को प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 की

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(...) ...

Scanned with CamScanner

ओर से वादोत्तर प्रस्तुत किया गया जो संक्षिप्त में निम्न प्रकार हैः– भूमि वादग्रस्त छीतरमल बुजुर्ग प्रतिवादीगण तथा हम प्रतिवादीगण की हमेशा से कब्जे, काश्त एवं हकूक खातेदारी की भूमि रही है। वाद के पैरा तीन के दर्ज स्टाम्प गलत फर्जी एवंम झुठा है तथा साक्ष्य में ग्राहय नही है। छीतरमल ने कभी भी भूमि वादग्रस्त को वादीगण अथवा उनके बुजुर्गो को नही दी है। बल्कि उक्त भूमि वादग्रस्त पर हमेशा से ही प्रतिवादीगण तथा उनके बुजुर्गो के कब्जे काश्त में रही है तथा कभी–कभी वादीगण हो आध बटाई पर केवल काश्त करने हेतु बताई गई तथा वादीगण के अनुनय विनय करने पर उन्हे भूमि वादग्रस्त के कुछ हिस्से में अपनी रिहाइश बनाने हेतु प्रतिवादीगण एवं बुजुर्गान ने कृपा करके बतादी थी जिसमें उन्होने रिहाइश करली है। पैरा संख्या चार गलत है स्वीकार नही है जैसा कि उपर दर्ज किया गया है प्रतिवादीगण तथा उनके बुजुर्गान द्वारा वादीगण को कभी–कभी भूमि वादग्रस्त को काश्त हेतु बटाई पर बतायी गयी थी जिसका नाजायज फायदा उठाकर वादीगण ने कपट पूर्व प्रतिवादीगण से छिपाकर बसाज सरकारी अलकारान अपने नाम गिरदावरी दर्ज कराली है जिससे उन्हे कोई अधिकार हॉसिल नही होते है। छीतर मल की मुत्यु होने पर उनके पुत्रों के नाम तथा फिर बाद में प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी दर्ज हुयी है। यह कहना गलत है। पैरा संख्या 6 कतई गलत है स्वीकार नही है पुख्ता चाह प्रतिवादीगण एवं उनके बुजुर्गान ने अपने खर्चे से बनाया है तथा भूमि को उन्नत किया है जैसा कि उपर दर्ज किया गया है कि वादीगण के पास रिहाइश हेतु भूमि नही होने से उनके अनुनय विनय करने पर उन्हे भूमि वादग्रस्त के कुछ हिस्से में अपना रिहाइश बनाने हेतु प्रतिवादीगण एवंम बुजुर्गान ने कृपा करके बतादी थी जिसमें उन्होने रिहाइश करली है। तथा प्रतिवादीगण द्वारा उन्हे आध बटाई पर काश्त हेतु जमीन बताये जाने से उन्होने प्रतिवादीगण की सहमति से उसमें काश्त की है लेकिन अब उनके मन में बददेहान्ती आ गयी है तथा वे प्रतिवादीगण को उनके हिस्से एवम बट की फसल देने से इन्कार है तथा इस कारण ही उन्होने दुर्भावना पुर्वक उक्त झुठा दावा दरख्वास्त दायर किये है। वादीगण का यह कहना भी कतई गलत है कि छीतरमल की खातेदारी की भूमि वादग्रस्त कभी भी पुर्नग्रहित अथवा अधिग्रहित नही की गयी है। वादीगण का यह कथन भी कतई गलत है कि उक्त भूमि वादग्रस्त छीतरमल की खुद काश्त भूमि नही रही हो भूमि वादग्रस्त का छीतर मल काबिज खातेदार काश्तकार रहा है तथा उसकी फौतगी के बाद उसके वारिसान तथा हम प्रतिवादीगण लगातार खातेदार काश्तकार चले आ रहे है। जिसका सरकारी अभिलेख मे सही एवम वैध इन्द्राज दर्ज रिकार्ड चला आ रहा है। गिरदावरी बावत खुलासा तथ्य उपर दर्ज किये जा चुके हे। वादीगण ने भूमि वादग्रस्त का कभी भी लगान अदा नही किया है। बल्कि हमेंशा से प्रतिवादीगण एवंम उनके बुजुर्गान ही लगातार अदा करते चले आ रहे है। वादीगण ने अपने दावे में विरोधाभाषी आधार दर्ज किये है जो हस्ब कानून पोषनीय नही है तथा सरसरी तौर पर निरस्त किये जाने योग्य है। वादीगण के भूमि वादग्रस्त में कभी कोई अधिकार किसी कानून के तहत समाप्त नही हुए है ना ही वादीगण को भूमि वादग्रस्त में हकुक खातेदारी हॉसिल हुए है। वादीगण का यह कहना कि उनके सन 1957 से भूमि वादग्रस्त पर खुल्लम खुल्ला रूप से अपने अधिकारों के तहत काबिज काश्त रहे है कतई गलत है तथा स्वीकार नही है। प्रतिवादीगण का अपनी जमीन की फसल में बंट कर अपना हिस्सा मांगना तथा वादीगण द्वारा दुर्भावना पूर्वक हम प्रतिवादीगण को उनके हिस्से की बट की फसल देने से इन्कार करना तथा उनके द्वारा प्रतिवादीगण को दिये जाने वाले बंट को बददेहान्ती पुर्वक हडपने की दुर्भावना से यह झुठा दावा किया गया है। वादीगण ने अपने वाद पत्र में यह उल्लेख नही किया है कि उन्हे कब कैसे वाद कारण उत्पन्न हुआ है ऐसी सूरत में दावा वादीगण काबिले पेश रफ्त नही होने से सरसरी तौर पर निरस्त किये जाने योग्य है। मु0 शान्ति खादेतार को पक्षकार मुकदमा नही बनाये जाने से दावा सरसरी तौर पर निरस्त किये जाने योग्य है। दावा

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(...) ...

Scanned with CamScanner

हस्ब कानून कायदा दाखिल नही किये जाने से सरसरी तौर पर निरस्त किये जाने योग्य है। दावा वादीगण में दर्ज अभिवचन के आधार पर उनके हम में ना तो उनके द्वारा वान्छित अनुतोष प्रदान किये जा सकते है ना ही मुकदमें के श्रवणाधिकार न्यायालय हाजा को हांसिल है। दावा वादीगण मय खर्चा खारिज किये जाना न्यायोचित है।

उक्त प्रकरण में दिनांक 17.03.2015 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई में तनकियात निम्न प्रकार कायम की गईः—

1. आया वादीगण विवादित आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।

वादीगणः—

2. आया वादीगण विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द कराने का अधिकारी है।

वादीगणः—

3. आया वादीगण का विवादित आराजी पर कब्जा कास्त नही है।

वादीगणः—

4. अनुतोष
5. आया वादी पटटा दिनांक 14.10.57 के आधार पर खातेदारी का अधिकारी है।

वादीगणः—

साक्ष्य शपथ पत्र वादी द्वारा मनालाल पुत्र गंगाराम , गंगासहाय पुत्र छंगा, रामधन पुत्र सुखराम के पेश किये गये जिरह प्रतिवादी वकील की गई प्रतिवादी की और से विनोद पुत्र राजेन्द्र शर्मा , दाउदयाल पुत्र मदन लाल, अशोक कुमार पुत्र मदन लाल के पेश किये गये जिरह वादी वकील द्वारा की कई जिरह बन्द की जाकर पत्रावली बहस पर नियत की गई। बहस के दौरान वादी वकील द्वारा मौका कमिशनर नियुक्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस की गई पोषणीय नही होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। पत्रापली पुनः बहस पर नियत की गई प्रतिवादी वकील द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई जो संक्षिप्त में निम्न प्रकार हैः— विवादित भूमि वाके मौजा मूण्डघिरया तहसील बसवा में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15,19(1) एए के आधार पर तथा प्रतिकूल कब्जे एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाना दर्ज किया गया है जिसके सन्दर्भ में प्रतिवादीगण निम्नांकित तथ्य एवंम कानून प्रस्तुत करते हैं।

1 धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मौजुदा प्रकरण में लागु नही होता है। उक्त धारा 15 (1) में स्पष्ट उल्लेख है कि जिस दी उक्त अधिनियम लागु हुआ उस दिन जो व्यक्ति बतौर कृषक (टीनेन्ट) काबिज आराजियात हो केवल उसे ही खादेदार घोषित किया जा सकता है जबकि मौजुदा प्रकरण में वादीगण उक्त अधिनियम के लागू होने की दिनांक के समय सन 1955 (15.10. 1995) अधिनियम के लागू होने की दिनांक को बतौर कृषक टीनेन्ट काबिज होना नही कहता है तथा उनका खुद का केस एवं दावा दिनांक 14.10.1957 से काबिज होने बाबत है ऐसी सूरत में धारा 15 के प्रावधान लागु नही होते है। यहां यह दर्ज करना भी प्रासंगिक है कि वादीगण बतौर कृषक काबिज होना नही बताते है तथा स्वंयम को उपकृषक होना बताकर आये है। धारा 15 के तहत केवल उन लोगो को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने का प्रावधान है जिन्होने धारा 15 (3) के तहत काश्तकारी अधिनियम लागु होने की दिनांक 15.10.1955 से तीन वर्ष की अवधि में सक्षम न्यायालय में आवेदन किया हो। वादीगण ने उस समय दावा नही किया गया उनका दावा चलने योग्य नही है। अनुवानी छंगा बनाम राजेन्द्र मुकदमा न0 27/1996 दिनांक 13.08.2001 को निरस्त हो चुका है। धारा 19(1) एए उक्त धारा के तहत वादीगण को यह साबित करना

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) बांदीकुई

Scanned with CamScanner

आवश्यक है कि वे दिनांक 31.12.1969 को एनुअल रजिस्टर यानि खतौनी जमाबन्दी में बतौर टिनेन्ट अथवा सब टिनेन्ट दर्ज हो। मौजुदा प्रकरण में वादीगण ने तत्समय यानि दिनांक 31.12. 1969 की कोई नकल खतौनी जमाबन्दी (एनअल रजिस्टर) पेश नही किया है ऐसी सूरत में उक्त धारा 19 (1) एए के तहत उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते है। एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार पाने का राज0 काश्तकारी अधिनियम में कोई प्रावधान नही है तथा माननीय राज 0राजस्व बोर्ड की फुल बैच ने अपने निर्णय जगदीश बनाम सीताराम आरआर डी 2011 पृष्ठ संख्या 508 के पैरा संख्या 1 व 77 में यह स्पष्ट सिद्धान्त तय किया है कि एडर्वस पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते है दिनांक 14.10.1957 में अपना कब्जा होना बताया है लेकिन यह स्पष्ट है कि उक्त दस्तावेज रजिस्टर्ड नही है तथा उचित स्टाम्प पर भी नही है तथा उसमें दर्ज इबारत से स्पष्ट हैकि उसमें उचित भूमि वादग्रस्त को विक्रय करने बाबत अथवा प्रतिफल की बाबत कोई उल्लेख नही है बल्कि केवल बटाई पर बताया जाना जाहिर है उक्त लिखावट से वादीगण का एडर्वस पजेशन का केस स्वतः ही समाप्त हो जाता है। दावा वादीगण मय हर्जा खर्चा खारिज किया जावे।

वादी वकील द्वारा वादी संख्या 01 लगा0 06 की ओर से निम्नलिखित बहस प्रस्तुत की जो संक्षिप्त मे निम्न प्रकार है :– ग्राम मुंडधिरया की भूमि मुतदाविया के पट्टी बालावक्शसिंह पुरोहित मे स्थित थी तथा प्रतिवादी संख्या 01 के बाबा छीतरमल की माफी मे दी और देन ठिकाना खुद काश्त संवत् 2008 की बन्दोबस्त मे अंकित की गई थी। छीतरमल ने दिनांक 14.10.1957 कार्तिक कृष्णा 6 संवत् 2014 को अपनी माफी की जमीन जिसे खसरा नं. 01 बताकर उसका एक पट्टा बाबत काश्त छंगा व गंगू व बोडिया व रामचन्द्र के हक मे तहरीर कर दिया क्योकि वह खुद काश्त करने मे असमर्थ थे और काश्त करने के को वादीगण के उपरोक्त बुजुर्गान को दे दी और उसमे कुँआ बनाना और डोल बनाने आदि के समस्त अधिकार दे दिये तथा शर्त रखी गयी की उक्त भूमि के लगान के 14 रू. 01 आने जब तक माफी जब्त नही हो छीतरमल उपरोक्त को अदा करते रहेगे और माफी समाप्त होने के पश्चात राज्य सरकार मे लगान देते रहेगें तथा वादीगण के उपरोक्त बुजुर्गान को उस भूमि पर कब्जा करा दिया और उसके प्रमाण स्वरूप एक पट्टा भी दिनांक 14/10/1957 को एक रूपये के स्टाम्प पर गवाहो के सामने तहरीर कर दिया परन्तु रामचन्द्र ने उक्त भूमि मे अपना हिस्सा नही रखा और मूल पट्टे के पीछे ही छंगा के हक मे इस बारे मे इबारत तहरीर कर दी। उक्त पट्टे के अनुसार वादीगण उक्त भूमि को निरंतर काश्त करते रहे है तथा खसरा गिरदावरी संवत् 2014 मे छंगा का नाम खसरा गिरदावरी मे खाना नं. 27 में अकित है तथा उसके पश्चात संवत् 2015 व 2016 मे भी वादीगण का नाम अंकित है और उनकी काश्त अंकित है एवं उन्ही बातो को दोहराया जो वादपत्र में अंकित है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली इस न्यायालय मे दिनांक 03.01.2022 को स्थानान्तरण होकर प्राप्त हुई एवं पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात तथा उभयपक्ष वकीलो द्वारा लिखित बहस व प्रस्तुत रूलिंग वकील प्रतिवादी द्वारा RRD 1986 PAGE NO. 567 ALLADIN VS KANHIALAL, RRD 2000 PAGE NO. 95 NANDLAL & ORS. V/S BOARD OF REVEUE & ORS., RRD 1977 PAGE NO. 4000 DB HUKUM RAM V/S MEGH SINGH, RRD 2016 PAGE NO.11 HOKAMA V/S MOHAN LAL &ORS., RRD 2016 RAJ. HIGH COURT 464 PAGE NO. 6 CHENRAM &ORS. V/S BOARD OF REVENUE & ORS., RRD 2011 508 PAGE NO. 01, 77 JAGDISH & ORS. V/S SITRARAM & ANR., AIR 2013 RAJ 112 SMT. INDU VS NARSINGH DAS AND OTHERS, वादी वकील द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय मे दर्ज प्रकरण सिविल अपील नं0 7764

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

ऑफ 2014 रविन्द्र कौर गरेवाल वगै0 बनाम मनजीत कौर वगै0 मे पारीत निर्णय दिनांक 31.07.20 की नजीर पेश की। उक्त आधार पर प्रकरण का तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है:-

1. आया वादीगण विवादित आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।

वादीगणः-

तनकी नं. 01 को साबित करने का भार वादीगण है। वादी द्वारा प्रस्तुत गवाह मन्नालाल वादी, गंगासहाय, रामधन स्वतंत्र गवाह, धन्नालाल, सुरजन गुर्जर के बयान के आधार पर 1957 से बिना कोई बाधा और रूकावट एवं खसरा गिरदावरी में खाना नम्बर 27 में अंकित है तथा उसके पश्चात सम्वत 2015 व 2016 में भी वादीगण का नाम अंकित है। और उनकी काश्त अंकित है। सम्वत 2017 की खसरा गिरदावरी के खाना नम्बर 6 में छीतरमल का नाम लिखकर उसके नीचे वादीगण एवं उनके बुजुर्गान का नाम अंकित किया गया और बदस्तुर के इन्द्राज सम्वत 2017 व 2018 किया गया तथा 2019 में भी खाना न0 6 में छीतरमल के नीचे वादीगण एवं उनके बुजुर्गान का नाम अंकित किया गया ओर खाना नम्बर 17 व 27 में बदस्तुर के इन्द्राजात एवं धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 19(1) ए तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय मे दर्ज सिविल अपील प्रकरण नं0 7764 ऑफ 2014 रविन्द्र कौर गरेवाल वगै0 बनाम मनजीत कौर वगै0 मे पारीत निर्णय दिनांक 31.07.20 की नजीर के आधार पर तनकी नं0 01 वादी के पक्ष मे तय की जाती है।

2. आया वादीगण विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द कराने का अधिकारी है।

वादीगणः-

तनकी नं0 02 को साबित करने का भार वादीगण पर है। तनकी न01 के विवेचन के आधार पर तनकी नम्बर 02 वादीगण के पक्ष मे साबित होती है। तनकी न03 वादी के पक्ष में तय की जाती है।

3. आया वादीगण का विवादित आराजी पर कब्जा कास्त नही है।

तनकी नम्बर 3 को साबित करने भार वादीगण पर है। उक्त विवेचन तनकी नम्बर 1 पर कर दिया गया गया। तनकी नम्बर 3 वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

4. अनुतोष

तनकी नम्बर 1,2,3 के विवेचन के आधार पर तनकी नम्बर 4 वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

5. आया वादी पटटा दिनांक 14.10.57 के आधार पर खातेदारी का अधिकारी है।

तनकी नम्बर 5 को साबित करने का भार वादीगण पर है। छीतरमल ने दिनांक 14.10.1957 कार्तिक कृष्णा 6 संवत् 2014 को अपनी माफी की जमीन जिसे खसरा नं. 01 बताकर उसका एक पट्टा बाबत काश्त छंगा व गंगू व वोडिया व रामचन्द्र के हक मे तहरीर कर दिया क्योकि वह खुद काश्त करने मे असमर्थ थे और काश्त करने के को वादीगण के उपरोक्त बुजुर्गान को दे दी और उसमे कुँआ बनाना और डोल बनाने आदि के समस्त अधिकार दे दिये तथा शर्त रखी गयी की उक्त भूमि के लगान के 14 रू. 01 आने जब तक माफी जब्त नही हो छीतरमल उपरोक्त को अदा करते रहेगे और माफी समाप्त होने के पश्चात राज्य सरकार मे लगान देते रहेगें तथा वादीगण के उपरोक्त बुजुर्गान को उस भूमि पर कब्जा करा दिया और उसके प्रमाण स्वरूप एक पट्टा भी दिनांक 14/10/1957 को एक रूपये के स्टाम्प पर गवाहो के सामने तहरीर कर दिया परन्तु रामचन्द्र ने उक्त भूमि मे अपना हिस्सा नही रखा और मूल पट्टे के पीछे ही छंगा के हक मे इस बारे मे इबारत तहरीर कर दी। उक्त पट्टे के अनुसार वादीगण उक्त भूमि को निरंतर काश्त करते रहे है तथा खसरा गिरदावरी संवत् 2014 मे छंगा का नाम खसरा गिरदावरी मे खाना नं. 27 में

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

अंकित है तथा उसके पश्चात संवत् 2015 व 2016 मे भी वादीगण का नाम अंकित है और उनकी काश्त अंकित है। असल स्टाम्प पत्रावली में शामील किया हुआ है एवं गवाह मन्नालाल वादी, गंगासहाय, रामधन स्वतंत्र गवाह, धन्नालाल, सुरजन गुर्जर के बयान के आधार पर 1957 से बिना कोई बाधा और रूकावट एवं खसरा गिरदावरी में खाना नम्बर 27 में अंकित है तथा उसके पश्चात सम्वत 2015 व 2016 में भी वादीगण का नाम अंकित है। और उनकी काश्त अंकित है। सम्वत 2017 की खसरा गिरदावरी के खाना नम्बर 6 में छीतरमल का नाम लिखकर उसके नीचे वादीगण एवं उनके बुजुर्गान का नाम अंकित किया गया और बदस्तुर के इन्द्राज सम्वत 2017 व 2018 किया गया तथा 2019 में भी खाना न0 6 में छीतरमल के नीचे वादीगण एवं उनके बुजुर्गान का नाम अंकित किया गया ओर खाना नम्बर 17 व 27 में बदस्तुर के इन्द्राजात एवं धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 19(1) ए तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय मे दर्ज सिविल अपील प्रकरण नं0 7764 ऑफ 2014 रविन्द्र कौर गरेवाल वगै0 बनाम मनजीत कौर वगै0 मे पारित निर्णय दिनांक 31.07.20 की नजीर के आधार पर तनकी नं0 05 वादी के पक्ष मे तय की जाती है।

उपरोक्त तनकीयात विवेचन के आधार पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि मौजा मूडधिस्या तहसील बसवा जिला दौसा में स्थित है कृषि भूमि खसरा नम्बर 1/2 पुराना रकबा 11 वीघा 5 बिस्वा जिसके हाल नये खसरा नम्बरान खतौनी संख्या नयी 6 पुरानी 5 के खसरा नम्बरान 2 रकबा 0.0400 हैक्टे0 जाव 2 चाही 2 खसरा नम्बर 3 रकबा 0.0700 हेक्टे0 जाव 2 चाही 2 खसरा नम्बर 4 रकबा 0.700 हेक्टे0 जाव 2 चाही 2 खसरा नम्बर 5 रकबा 0.2800 हैक्टे जाव 2 चाही 2 खसरा 6 रकबा 0.0100 हैक्टे गैर मुमकिन चाह, खसरा नम्बर 7 रकबा 0.0200 हैक्टे0 आ0 चा0 खसरा नम्बर 8 रकबा 0.1000 हैक्टे0 चाही 2 जाव 2 खसरा नम्बर 9 रकबा 0.0800 हैक्टे0 जाव 2 चाही 2 खसरा नम्बर 11 रकबा 0.3200 हैक्टे0 जाव 2 चाही 2 खसरा 12 रकबा 0.3300 हैक्टे चाही 2 खसरा न0 13 रकबा 0.2800 हैक्टे0 जाव 2 चाही 2 खसरा न0 14 रकबा 0.2600 हैक्टे चाही 2 खसरा नम्बर 15 रकबा 0.3200 हैक्टे0 जाव 2 चाही 2 खसरा नम्बर 16 रकबा 0.3600 हैक्टे चाही 2 जाव 2 पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा स्वीकार किया जाकर वादीगण का नाम बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। तहसीलदार बसवा नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे, दावा डिकी पर्चा एवं तहरीर जारी होकर बाद तकमील प्रकरण दाखिल दफ्तर हो।

(भावना शर्मा)
आरएएस
सहायक कलेक्टर फास्ट–ट्रेक
बांदीकुई जिला दौसा
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) बांकुई

Scanned with CamScanner